

राजस्थान राज्य अधिकाारी (राजस्व) भादरा, जिला छनुमानगढ  
 शीतारीन अधिकाारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.  
 11/2025

रतनाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवारी शिवदानपुरा तहसील भादरा। वनाम्  
 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। प्रार्थी



अप्रार्थी  
 प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती  
 अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट  
 उपरिथति :- श्री सुरजीत विजारणियां प्रार्थी  
 राजपैरोकार अप्रार्थी  
 दिनांक: 4/6/25

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 138/35 के खसरा सं० 92 व 93 की कुल 9.1570 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के खाता सं० 1/8 हिस्सा व रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 134/74 के खसरा सं० 71 व 86 की कुल 3.6290 है० में रतन पुत्र ख्यालीराम के नाम 419/3629 हिस्सा व रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 135/33 के खसरा सं० 71/379 की 1.113 है० में रतना पुत्र ख्यालीराम के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 134/2, 144/1, 314/2, 323/7, 324/2, 325/2 कुल 5.9130 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 80/2, 81/371, 00/372, 01 कुल 4.4750 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम 93/34 के खसरा सं० 1/3 हिस्सा, रोही मौजा झिलौदा के खाता सं० 24/107 के खसरा सं० 114 व 84 कुल 4.40/147 के खसरा सं० 111, 114, 167, 83, 91/476 कुल 10.560 है० में रतनसिंह पुत्र ख्यालीराम के नाम 721/15840 हिस्सा, रोही मौजा बुढेर के खाता सं० 27/14 के खसरा सं० 182/2 की 3.1430 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा बुढेर के खाता सं० 44/14 के खसरा सं० 182/3, 183/3 कुल 1.265 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम 211/1265 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त सभी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपना नाम रतनाराम पुत्र ख्यालीराम दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रतनाराम पुत्र ख्यालीराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 138/35 के खसरा सं० 92 व 93 की कुल 9.1570 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम 1/8 हिस्सा व रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 134/74 के खसरा सं० 71 व 86 की कुल 3.6290 है० में रतन पुत्र ख्यालीराम के नाम 419/3629 हिस्सा व रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 135/33 के खसरा सं० 71/379 की 1.113 है० में रतना पुत्र ख्यालीराम के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 134/2, 144/1, 314/2, 323/7, 324/2, 325/2 कुल 5.9130 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 80/2, 81/371, 00/372, 01 कुल 4.4750 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम 93/34 के खसरा सं० 114 व 84 कुल 4.40/147 के खसरा सं० 111, 114, 167, 83, 91/476 कुल 10.560 है० में रतनसिंह पुत्र ख्यालीराम के नाम 721/15840 हिस्सा, रोही मौजा बुढेर के खाता सं० 27/14 के खसरा सं० 182/2 की 3.1430 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा बुढेर के खाता सं० 44/14 के खसरा सं० 182/3, 183/3 कुल 1.265 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम 211/1265 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त सभी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपना नाम रतनाराम पुत्र ख्यालीराम दर्ज करवाना चाहता है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत  
 रिपोर्टों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा ग्राम पंचायत  
 रिपोर्ट व तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार  
 करने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार  
 को आदेशित किया जाता है कि वे मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 138/35 के  
 खसरा सं० 92 व 93 की कुल 9.1570 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर रतनाराम  
 पुत्र ख्यालीराम व रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 134/74 के खसरा सं० 71 व 86  
 की कुल 3.6290 है० में रतन पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र ख्यालीराम व रोही  
 मौजा शिवदानपुरा के खाता सं० 135/33 के खसरा सं० 71/379 की 1.113 है० में रतना पुत्र  
 ख्यालीराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र ख्यालीराम, रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं०  
 134/31 के खसरा सं० 134/2, 144/1, 314/2, 323/7, 324/2, 325/2 कुल 5.  
 30 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र ख्यालीराम व रोही मौजा  
 शिवदानपुरा के खाता सं० 93/34 के खसरा सं० 80/2, 81/371, 00/372, 01 कुल 4.  
 30 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र ख्यालीराम, रोही मौजा  
 शिवदानपुरा के खाता सं० 24/107 के खसरा सं० 114 व 84 कुल 4.6790 है० में रतनसिंह पुत्र  
 ख्यालीराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र ख्यालीराम, रोही मौजा गढडा के खाता सं० 140/147  
 के खसरा सं० 111, 114, 167, 83, 91/476 कुल 10.560 है० में रतनसिंह पुत्र ख्यालीराम के  
 स्थान पर रतनाराम पुत्र ख्यालीराम, रोही मौजा बुढेर के खाता सं० 27/14 के खसरा सं०  
 182/2 की 3.1430 है० में रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र ख्यालीराम,  
 रोही मौजा बुढेर के खाता सं० 44/14 के खसरा सं० 182/3, 183/3 कुल 1.265 है० में  
 रतनलाल पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र ख्यालीराम दर्ज किया जाकर राजस्व  
 रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही  
 उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी  
 न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि रतना पुत्र ख्यालीराम,  
 रतनलाल पुत्र ख्यालीराम व रतनसिंह पुत्र ख्यालीराम के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम  
 रतना पुत्र ख्यालीराम, रतनलाल पुत्र ख्यालीराम व रतनसिंह पुत्र ख्यालीराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 5/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में  
 सुनाया गया।



(कल्पित शिवसिन)  
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S  
 भादर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 भादरा जिला हनुमानगढ़